न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 179/2022 दायर दिनाँक 15.07.2022

वादीनी		प्रतिवादी
1. दातार कंवर पत्नि महावीर सिंह जाति राजपुत निवासी गांवड़ी तहसील डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—
1. श्री प्रितम सिंह वकील वादीनी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 390 रकबा 0.0900 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 396 रकबा 1.0400 हैक्टे0, वाकै सरहद गांवड़ी है। इन खसरानें की खातेदारी में मुझ प्रार्थी के पति का नाम जेठुसिंह दर्ज है जो खातेदारी में वादीनी के पती के नाम दर्ज है। नकुलात् खतोनी दावा के साथ में प्रस्तुत है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि वादी व उसके कुटुम्बिक सदस्यों की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो कि पहले वादी के पूर्वजों के नाम से खातेदारी में अंकित रही पूर्वजों के फोत होने पर उनके जायज उराधिकारी व वारिशान के नाम जरिये फौतगी नामान्तकरण के खातेदारी में अंकित हुई है।

यह है कि वादी के पती का वास्तवीक नाम महवीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह जाति राजपुत निवासी गांवड़ी है यही पती का नाम वादी के परिवारीक राशन कार्ड अन्य सभी दस्तावेज में यही नाम है में अंकित है यही नाम वादी के पती का नाम मतदाता पहचान पत्र में अंकित है यही नाम वादीनी के पती का नाम आधार कार्ड में अंकित है, इन सभी दस्तावेज की फोटो—प्रतियां दावा के साथ में प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

कि खेत खसरा सं0 390 रकबा 0.0900 हैक्टे0, खसरा सं0 396 रकबा 1.0400 हैक्टे0, वाकै सरहद गांवड़ी है कि खातेदारी में वादीनी के पती का नाम जो जेठुसिंह गलत दर्ज है की दुरूस्ती करवाकर इसके स्थान पर वादीनी के पती का नाम महावीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह खातेदारी में अंकित करवाये जावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। सरपंच ग्राम पंचायत भोपजी का बास का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर [illegible] कार्ड की प्रति आदि के साथ पेश हुयी, जिसे शामिल मिशल किया गया। [illegible] दस्तावेजों के आधार पर वादीया के पती का नाम जेठुसिंह के स्थान पर महावीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वादीनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गांवड़ी के खेत खसरा सं0 390, 396 की खातेदारी में वादीया के पती का नाम जेठुसिंह के स्थान पर महावीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह दुरूस्त किया जाता है। एवं वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.07..2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 179/2022 दायर दिनाँक 15.07.2022

वादीनी		प्रतिवादी
1. दातार कंवर पत्नि महावीर सिंह जाति राजपुत निवासी गांवड़ी तहसील डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितम सिंह वकील वादीनी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादीनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गांवड़ी के खेत खसरा सं0 390, 396 की खातेदारी में वादीया के पती का नाम जेठुसिंह के स्थान पर महावीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह दुरूस्त किया जाता है। एवं वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीजं..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीकेन ने किसी कार्यवाही के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner